

\*प्रेस विज्ञप्ति\*

\*कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महराजगंज, दिनांक अगस्त-28, 2023\*

\*!!□ आज दिनांक-28.08.2023 को पुलिस अधीक्षक महराजगंज के निर्देशन में जनपद महराजगंज पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य का विवरण!!\*

1. "मिशन शक्ति अभियान" के तहत नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के प्रति बालिकाओं/महिलाओं में सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से महराजगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरूक।

2. महराजगंज पुलिस द्वारा बैंक, एटीएम, वित्तीय प्रतिष्ठान आदि की सघन चेकिंग कर आस-पास खड़े संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की गई।

3. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। \*चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 51 वाहनों का चालान किया गया।\*

4. पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत संभ्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरुओं, कास्तकारों, किसानों के साथ थानों में शान्ति समिति की बैठके कर सौहार्दपूर्ण, स्वस्थ वातावरण बनाए रखने हेतु एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गयी। तथा समस्त थानों प्रभारियों को उपरोक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

5. \*शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\* जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल-18 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151, तथा धारा-107/116 सीआरपीसी में 30 व्यक्ति को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

6. \*पैदल गश्त अभियान-\* श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। तथा 198 व्यक्तियों को धारा 34 पुलिस एक्ट में कार्यवाही की गयी। तथा 24 व्यक्तियों को धारा 110 पुलिस एक्ट में कार्यवाही की गयी।

7. \*अबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\*

\*थाना बृजमनगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\* अभियुक्तगण 1. लालमन पुत्र स्वर्गीय तिमल साहनी निवासी बचगंगपुर टोला जयबंधनपुर थाना बृजमनगंज के कब्जे से 10 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 246/2023, धारा- 60(1) अबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

02. अभियुक्ता मैना देवी पत्नी मोटू उर्फ शिवकुमार ग्राम लेहराटोला जरलहवा थाना बृजमनगंज के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 245/23. धारा-60(1) आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर विधि कार्रवाई करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

03. अभियुक्ता शिवकला पत्नी स्व0 अशोक नि0 लेहड़ा टोला जरलहवा थाना बृजमनगंज के कब्जे से 08 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-244/23 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

\*थाना फरेन्दा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\* 1. अभियुक्ता तारा देवी पत्नी रामकेश निवासी पिपरा तहसीलदार टोला खडखडहिया थाना फरेन्दा के कब्जे 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-344/23 धारा-60(1) ख आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

2. अभियुक्ता गायत्री पत्नी विनोद निवासी पिपरा तहसीलदार टोला खडखडिया थाना फरेन्दा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 345/23, धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए चालान मान0 न्यायालय किया गया।

\*थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई-\* अभियुक्त आशीष यादव पुत्र बृजभूषण निवासी अमला उर्फ झूलनीपुर थाना निचलौल के कब्जे से 28 टेट्रा पैक देसी बंटी बबली शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 426/23 धारा- 6(1) आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

\*थाना नौतनवा पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई-\* अभियुक्त अशोक राजभर पुत्र रामवृक्ष निवासी चकरा टोला लालपुर थाना नौतनवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 269/23 धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

\*थाना परसामलिक पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई-\* अभियुक्त मुनव्वर प्रसाद वर्मा पुत्र शिवपूजन वर्मा निवासी बभनी थाना परसा मलिक के कब्जे से 15 शीशई अवैध नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 119 / 23 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम का उपयोग पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

08. \*विवेचनाओं का निस्तारण-\* पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-40 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

09. \*जनपद में 27/28.08.2023 को विभिन्न अपराधों में कुल- 26 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।\*

10.\*आदेश-\* महाराजगंज पुलिस द्वारा शान्ति सुरक्षा, कानून व्यवस्था अपराध नियन्त्रण को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु समस्त क्षेत्राधिकारियों/थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पैदल गश्त किया जायेगा

11.\*कस्टम अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\*

\*थाना बरगदवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\* अभियुक्त रमेश पुत्र बृजलाल नि0 किशुनपुरा थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज के कब्जे से 60 बोरी चानी एक अदद पीकप यूपी 56 टी 6229 बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या निल/2023, धारा- 10 कस्टम अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया

\*थाना नौतनवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\* अभियुक्त अज्ञात के कब्जे से 09 बोरी युरिया खाद बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या निल/2023, धारा- 10 कस्टम अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया